हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, इंडियन हैबिटैट सेंटर, लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003

आईएसओ 9001:2015

सं. हडको/एचआरएमए/परिपत्र/2020/ 28 जनवरी, 2020

<u>परिपत्र</u>

विषय: हडको के संविदा कार्मिक - ईपीएफ/ईएसआई से संबंधित वैधानिक अनुपालन – के संबंध में

उपरोक्त के संबंध में, एचआरएमए विभाग को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग से दिनांक 15 जनवरी, 2020 का एक नोट प्राप्त हुआ है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के नोट के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति ने 24 मई, 2019 को आयोजित अपनी 119 वीं समिति बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

1. कार्मिक भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम, 1952 के पैरा 30(3) के अनुसार, मुख्य नियोक्ता (अर्थात हडको) का यह दायित्व है कि वह अपने द्वारा सीधे नियुक्त कार्मिकों के संबंध में और कांट्रेक्टर के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के संबंध में स्वयं द्वारा देय अंशदान का भुगतान करे।
2. मुख्य नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कांट्रेक्टर ईपीएफओ/ईएसआई के साथ पंजीकृत हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कांट्रेक्टर द्वारा हडको में तैनात संविदात्मक कार्मिकों के ईपीएफ/ईएसआई के लिए वैधानिक कटौती की जाए।
3. कांट्रेक्टर को देय भुगतान केवल इस बात की पुष्टि के बाद ही किया जाना चाहिए कि वैधानिक पीएफ भुगतान ईपीएफओ को कर दिया गया है। इसकी पुष्टि या तो सीधे ईपीएफओ पोर्टल से की जा सकती है या भुगतान करते समय कांट्रेक्टर द्वारा ईपीएफओ पोर्टल से प्राप्त भुगतान रसीद पर ज़ोर देकर की जा सकती है।

उपरोक्त को देखते हुए, सभी विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

<u>डॉ. डी.रविशंकर</u>
<u>महाप्रबंधक (प्रशासन)</u>

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए ईएस
उप आयुक्त (सचिव) के लिए उप आयुक्त
विभागीय आयुक्त (सचिव) के लिए प्रबंधक (सचिव)

मुख्य सतर्कता अधिकारी के लिए प्रबंधक (सचिव)
सभी विभागाध्यक्ष
कार्यकारी निदेशक (एचएसएमआई)
सभी क्षेत्रीय प्रमुख
कंपनी सचिव

प्रतिलिपि:
कार्यकारी निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा)
कार्यकारी निदेशक (आई टी)